कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा–324005

प्रबन्ध–मण्डल की 40वीं बैठक दिनांक 05.04.2021

कार्यवृत

प्रबन्ध–मण्डल की 40वीं बैठक दिनांक 05.04.2021 को अपराह्न 12:15 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित बैठक हॉल में माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित उपस्थित हुए :–

1. प्रो0 नीलिमा सिंह — अध्यक्ष
   माननीय कुलपति महोदया,
   कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
2. डॉ. मोहम्मद नईम (ऑनलाईन) — सदस्य
   नामित सदस्य,
   सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,
   राजस्थान सरकार, जयपुर
3. श्री नरेश कुमार मालव, — सदस्य
   वित्त विभाग,
   राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा
   नामित सदस्य के प्रतिनिधि
4. आयुक्त (ऑनलाईन) — सदस्य
   महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान,
   जयपुर
5. प्रो. जॉन वर्गीस (ऑनलाईन) — सदस्य
   कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य
6. प्रो. मनोरंजन शर्मा (ऑनलाईन) — सदस्य
   कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य
7. श्री पानाचंद मेघवाल — सदस्य
   माननीय विधायक, अटरू, जिला बारां
   राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्य
8. डॉ. एकता धारीवाल — सदस्य
   राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्
9. डॉ. जगदीश प्रसाद सैनी — सदस्य
   राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्

10. डॉ. अनिता कोठारी (ऑनलाईन) — सदस्य
प्राचार्य, राजकीय जे.डी.बी. महाविद्यालय, कोटा
राज्य सरकार द्वारा नामित राज. महाविद्यालय, प्राचार्य

11. डॉ. राजवन्त सन्धु (ऑनलाईन) — सदस्य
प्राचार्य, प्रगति शिक्षण प्रशिक्षक महाविद्यालय, कोटा
राज्य सरकार द्वारा नामित निजी महाविद्यालय, प्राचार्य

12. प्रो. एन.के. जैमन — सदस्य
कुलपति द्वारा नामित आचार्य

13. प्रो. आशु रानी — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता

14. प्रो. रीना दाधीच — सदस्य
कुलपति द्वारा नामित आचार्य

15. डॉ0 आर.के. उपाध्याय — सदस्य सचिव
कुलसचिव

श्रीमती इन्द्रा मीणा, माननीय विधायक, बामनवास, सवाई माधोपुर, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सकी।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव एवं माननीय कुलपति महोदया द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। प्रबंध मण्डल में नवनियुक्त व पूर्व नियुक्त माननीय सदस्यों का कुलसचिव द्वारा स्वागत व अभिनंदन किया गया।

बैठक के निर्धारित एजेण्डे पर चर्चा से पूर्व प्रबंध मण्डल के सदस्य सचिव एवं कुलसचिव डॉ. आर.के. उपाध्याय द्वारा बैठक के कार्यवाही विवरण को अभिलिखित करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये सभी को अवगत करवाया गया कि बैठक में लिये जाने वाले निर्णयों को बैठक के दौरान ही कमबद्ध रूप से लिखे जाने हेतु विश्वविद्यालय के किसी एक अधिकारी को उक्त कार्य हेतु अधिकृत करने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसमें चर्चा उपरान्त डॉ. जौली भण्डारी, उपकुलसचिव (अकादमिक) को उक्त कार्य हेतु प्रबंध मण्डल की बैठक में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा करने से पूर्व बैठक के दौरान लिये गये निर्णयों को निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गये:–

प्रबन्ध–मण्डल की बैठक में सम्मिलित मदवार एजेण्डों पर चर्चा हेतु सदन से अनुमति प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने के साथ ही माननीय सदस्य डॉ. जे. पी. सैनी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रबंध मण्डल की बैठक में सर्वप्रथम मदवार बिन्दुओं की

श्रेणी में विगत बैठक के कार्यवाही विवरण पर ही प्रथम मद के रूप में चर्चा होती है उसी क्रम को बनाये रखते हुये विगत बैठक के कार्यवाही विवरण से ही चर्चा प्रारंभ की गई :–

मद सं.–3	:	**प्रबन्ध–मण्डल की बैठक दिनांक 19.01.2021 के कार्यवाही विवरण पर माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार–विमर्श कर अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विगत बैठक के कार्यवाही विवरण पर चर्चा प्रारंभ होने के साथ ही माननीय कुलपति महोदया द्वारा सदन में बतलाया गया कि प्रबंध मण्डल की विगत बैठक के कार्यवृत पर कुल 14 सदस्यों में से 05 सदस्यों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है, जिनमें से 02 सदस्यों की प्रतिक्रियाएं निर्धारित समायावधि के पश्चात् प्राप्त हुई है, 03 सदस्यों की ही प्रतिक्रियाएं रह जाने पर कार्यवृत को अनुमोदित माने जाने के संबंध में अवगत करवाया गया। इस पर डॉ. मोहम्मद नईम, डॉ. जे.पी. सैनी एवं डॉ. एकता धारीवाल, माननीय सदस्यों द्वारा अवगत करवाया गया कि विगत बैठक के कार्यवाही विवरण पर जो प्रतिक्रियाएं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई है उन पर चर्चा उपरान्त ही आगे की कार्यवाही प्रारंभ की जावें। प्राप्त प्रतिकियाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुये डॉ. मो. नईम ने सदस्य सचिव को माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को सदन में वाचन करने को कहा। तद्नुसार माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का कुलसचिव द्वारा सदन में वाचन किया गया। प्राप्त प्रतिक्रियाओं का वाचन कार्य पूर्ण होने पर माननीय सदस्यों द्वारा अवगत करवाया गया कि कतिपय मदों पर कार्यवाही विवरण चर्चा के अनुरूप अभिलिखित नहीं किया गया है। माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि विशिष्ट बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किये जाने पर कार्यवाही विवरण को अभिलिखित करने में जो चूक हुई, इस बाबत् भविष्य में ध्यान रखा जाये। **संदर्भ : प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 19.01.2021, मद सं.–3(2)** (i) इसी संदर्भ में चर्चा के दौरान कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में वर्ष 2012–13 में नियुक्त हुये शिक्षकों को सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान करने संबंधी प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श संपन्न हुआ। प्रबंध मण्डल के सभी माननीय सदस्यों की यह राय थी कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान करने संबंधी प्रकरण में दिन–प्रतिदिन विलम्ब हो रहा है, उनका समाधान कर शिक्षकों को सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान की जावें। प्रो. मनोरंजन शर्मा, माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को सशर्त पदोन्नति जो कि माननीय न्यायालय व चयन समिति के निर्णय के अधीन रहेगी, पर दिये

जाने का प्रस्ताव दिया, जिसका समर्थन प्रो. एन.के. जैमन, प्रो. आशुरानी एवं प्रो. रीना दाधीच, माननीय सदस्यों द्वारा किया गया, किन्तु इन तीनों माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति एक प्रशासनिक प्रक्रिया होने के कारण, प्रकरण अनुमति हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की गई। सदन द्वारा कतिपय तकनीकी कारणों यथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा माननीय न्यायालयों में विश्वविद्यालय में भर्ती सम्बंधी प्रकरणों के विचाराधीन रहते हुये अनुमति प्रदान नहीं किये जाने संबंधी राय जो कि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 02.04.2021 के द्वारा प्राप्त हुई है, को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान संदर्भ में सी.ए.एस. की अनुमति प्रबंध मण्डल स्तर पर प्रदान किये जाने में शेष माननीय सदस्यों द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई, तदापि विश्वविद्यालय शिक्षकों को शीघ्रातिशीघ्र सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान करने सम्बंधी कार्यवाही प्रारंभ हो, उसके निमित्त निम्नांकित कार्यवाही करने संबंधी निर्णय लिये गये :–

1. प्रबंध–मण्डल की बैठक में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अवगत करवाया गया कि सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान करने संबंधी निर्णय विश्वविद्यालय स्तर पर ही लिया जाकर कार्यवाही की जा सकती है, किन्तु प्रासंगिक प्रकरण में अनुमति संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाकर उन पर कार्यवाही की जा रही है। अतः वर्तमान प्रकरण राज्य सरकार की अनुमति के अधीन रहेगा। भविष्य में सी.ए.एस. पदोन्नति करने संबंधी निर्णय प्रबंध मण्डल के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय स्तर पर ही लिया जाकर, कार्यवाही भी की जा सकती है, इस बात की पुष्टि प्रबंध मण्डल द्वारा की गई।
2. प्रासंगिक प्रकरण में कोटा विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो भी प्रकरण माननीय न्यायालयों में विचाराधीन है उनके शीघ्र निस्तारण करवाने संबंधी प्रयास विश्वविद्यालय स्तर पर किये जावे।
3. राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों यथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में सी.ए.एस. के तहत् प्रदान की गई पदोन्नति संबंधी प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त किये गये निर्णयो को नजीर बनाते हुये, उक्त निर्णयों के संदर्भ में कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के शिक्षकों के प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सी.ए.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान करने की सहमति हेतु राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किया जावें।

संदर्भ : प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 19.01.21, मद सं.–1(F)/13

(ii) विश्वविद्यालय में संचालित बी.फार्म. पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों हेतु अस्थायी तौर पर रखे गये आचार्य की व्यवस्था को अनुमोदित किया गया। चूंकि बी.फार्म. पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर पदों का सृजन किया जा चुका है जिन पर नियमित चयन प्रक्रिया पृथक से राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात् प्रारंभ की जानी है, किन्तु पाठ्यक्रम की व्यवस्थाओं को नियमित रूप से संचालित करने के लिए चयन प्रक्रिया में विलम्ब को देखते हुये आगामी सत्र में अस्थायी आचार्य को रखे जाने हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट पर विज्ञापन देकर अन्य व्यक्तियों से भी प्रस्ताव लिये जावें। तत्पश्चात् ही शैक्षणिक वरीयता व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुये अस्थायी आचार्य को रखे जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार पूर्व में चल रही व्यवस्था को इस सत्र के लिए अनुमोदित किया गया।

संदर्भ : प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 19.01.21, मद सं. 1(C)/7

(iii) विश्वविद्यालय परिसर में स्थायी एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के माध्यम से पाईप लाईन डालने का कार्य करवाये जाने हेतु डॉ. एकता धारीवाल, माननीय सदस्य द्वारा श्रीमान् शांति धारीवाल जी, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री, राजस्थान सरकार से अनुरोध करने संबंधी प्रयासों के लिए प्रबंध मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सराहना की गई। डॉ. एकता धारीवाल द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पेयजल व्यवस्था हेतु पाईप लाईन डालने का कार्य राज्य सरकार के माध्यम से अतिशीघ्र प्रारंभ किये जाने का आश्वासन दिया गया।

संदर्भ : प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 19.01.21, मद सं. 1(D)/8

(iv) कोविड–19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र दिनांक 03.09.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवनों को छात्रों के लिए उपयोगी बनाने हेतु फर्नीचर क्रय करने के लिए शिथिलता प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा फर्नीचर एवं Fixtures के लिए विश्वविद्यालय के वर्ष 2020–21 के बजट में भी रू. 250 लाख का प्रावधान किया हुआ है जो कि विश्वविद्यालय के स्वयं आय स्त्रोतों से निर्वहन किया जावेगा। राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं रहेगा। अतः छात्रों के हित में नवनिर्मित भवनों के लिए नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से

फर्नीचर क्रय करने हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी उक्त प्रपत्र में शिथिलता प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों का प्रबंध मण्डल (विश्वविद्यालय की सक्षम निकाय है) द्वारा अनुमोदन किया गया।

(v) डॉ. जे.पी. सैनी, माननीय सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय में आवश्यकता होने पर आमंत्रित अतिथि आचार्यों को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि रू. 500/– से रू. 1000/– प्रति घण्टा किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर प्रबंध मण्डल के सभी माननीय सदस्यों की सहमति थी, का उल्लेख दिनांक 19.01.2021 को आयोजित प्रबंध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण में नहीं किया गया। उक्त मानदेय वृद्धि सम्बंधी प्रस्तावों का प्रबंध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से पुनः अनुमोदन किया गया।

(vi) विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में अध्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अतिथि व्याख्याताओं को दिये जाने वाले मानदेय में बी.आर. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के आधार पर रू. 500/– से रू. 1000/– किये जाने की सहमति प्रबंध मण्डल द्वारा प्रदान की गई तथा उक्त प्रस्तावों को प्रबंध मण्डल की सहमति का उल्लेख करते हुये राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

संदर्भः प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 19.01.21, मद सं. 1(G)/14(ii)
(vii) विश्वविद्यालय के कार्मिकों को दिये जाने वाले भवन ऋण अग्रिम तथा वाहन ऋण अग्रिम, विश्वविद्यालय की सावधि जमा (एफ.डी.) पर मिलने वाले बैंक ब्याज की दर से अधिक हो, साथ ही बैंक की ब्याज दर बढ़ने पर उसके अनुसार दर बढ़ाई जाने का निर्णय लिया गया।

संदर्भ : प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 19.01.21, मद सं. 1(E)/11
(viii) विश्वविद्यालय में लाईब्रेरियन के रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिक को रखे जाने संबंधी आदेशों की पुष्टि की गई।

संदर्भ : प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 19.01.21, मद सं. 1(B)/2
(ix) विश्वविद्यालय में चैयरमेन, परीक्षा बनाये जाने के संबंध में डॉ. एकता धारीवाल, माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक का पद स्थायी है तथा जिस पर नियुक्ति दी जा चुकी है ऐसे में चैयरमेन, परीक्षा बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में चैयरमेन, परीक्षा की व्यवस्था की परंपरा नहीं है और कोटा विश्वविद्यालय में इस परंपरा को नियमित न रखा जावे।

		डॉ. जे.पी. सैनी, माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा संबंधी प्रकरणों में जब भी आवश्यकता हो तो प्रो. एन.के. जैमन को आमन्त्रित कर उनकी सेवाऐं ली जा सकती है। इसके लिए चैयरमेन, परीक्षा समिति बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय कुलपति महोदया द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि प्रो. जैमन केवल परीक्षा समिति के चैयरमेन है जो कि आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था कुलपति द्वारा की गई है। अध्यक्ष, परीक्षा समिति की व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में विगत कई वर्षों से की हुई है, इस व्यवस्था के तहत् विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम जारी करने संबंधी कार्य काफी सुगमता व सफलता पूर्वक संपन्न किये जा रहे है। चैयरमेन, परीक्षा समिति की व्यवस्था को माननीय कुलपति के निर्णयानुसार रखा जाना विश्वविद्यालय के हित में रहेगा। इस मद पर अन्य सदस्यों द्वारा कोई टिप्पणी व्यक्त नहीं की गई। प्रबंध मण्डल के विगत दो बैठकों यथा दिनांक 20.11.2020 व 19.01.2021 के शेष प्रस्तावों को पूर्वत निर्णयों के क्रम में अनुमोदित किया गया।
मद सं.–2	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत शिक्षकों को केरियर एडवान्समेन्ट स्कीम (सी.ए.एस) के तहत् पदोन्नति प्रदान करन हेतु दिनांक 18.03.2021 को आयोजित करवायी गई Selection Committee की बैठकों की अनुशंषाओं के बन्द लिफाफे खोले जाकर प्रबंध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ।
निर्णय	:	प्रबंध मण्डल द्वारा चयन समिति की अनुशंषाओं के 03 बन्द लिफाफे खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई तथा 03 बन्द लिफाफे खोले जाकर, चयन समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नाम व पद	पदोन्नति की स्टेज	सी.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान करने की तिथि
1.	डॉ. नारायण लाल हेड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर (फिजिक्स)	1. स्टेज 03 असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टेज 04 एसोसिएट प्रोफेसर	30.08.2020

2.	डॉ. मीनू माहेश्वरी, असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य एवं प्रबन्ध)	1. स्टेज 03 असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टेज 04 एसोसिएट प्रोफेसर	06.09.2020
3.	डॉ. जयप्रकाश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल)	1. स्टेज 03 असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टेज 04 एसोसिएट प्रोफेसर	27.02.2021

चयन समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन किये जाने संबंधी चर्चा के दौरान प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा उक्त संदर्भित जिन शिक्षकों को सी. ए.एस.के तहत पदोन्नति प्रदान की गई है, उन्हे पदोन्नत पद के समस्त लाभ/परिलाभ शिक्षकों की पदोन्नति हेतु पात्रता की तिथि (Date of Eligibility) से प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु उक्त निर्णय पर प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार द्वारा नामित सदस्य डॉ. मोहम्मद नईम, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत संभागीय आयुक्त, कोटा के प्रतिनिधि श्री नरेश मालव, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पदोन्नत शिक्षकों को वित्तीय लाभ पात्रता तिथि से देने संबंधी प्रस्तावों पर अपनी असहमति प्रकट की गई तथा पदोन्नत शिक्षकों को वित्तीय लाभ इस निर्णय की अनुपालना में जारी किये जाने वाले कार्यालय आदेश के क्रम में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से दी जाने संबंधी राय प्रदान की गई, परन्तु सदन ने पात्रता की तिथि से पदोन्नत पद के वित्तीय लाभ/परिलाभ दिए जाने का निर्णय लिया।

मद सं. 1 : **कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 (यथा संशोधित अधिनियम–2017, व 2019) की धारा 11(3)(क) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस विश्वविद्यालय के कुलपति चयन हेतु गठित की जाने वाली खोजबीन समिति (Search Committee) में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य के मनोनयन पर विचार संबंधी प्रस्ताव।**

निर्णय : कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम 2003 (यथा संशोधित अधिनियम–2017) की धारा 11(3)(क)में दियें गये प्रावधानों के अनुसार इस विश्वविद्यालय के कुलपति चयन हेतु गठित की जाने वाली खोजबीन समिति (Search Committee) में विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य के मनोनयन संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में इस सम्बंध में हुई, चर्चा के दौरान डॉ. मोहम्मद नईम, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, मनोनीत सदस्य प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल

		द्वारा श्री आर.डी. सैनी, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को खोजबीन समिति (Search Committee) में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा नाम निर्देशित सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने का प्रस्ताव रखा गया, उक्त प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल के सभी माननीय सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया। तदोपरान्त विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से श्री आर.डी. सैनी, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को खोजबीन समिति (Search Committee) में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा नाम निर्देशित सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने का निर्णय लिया गया।
पूरक मद सं. 1	:	वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.03.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना (वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित बजट से संबंधित अनुशंषाओं को अनुमोदित करना)।
निर्णय	:	वित्त समिति से अनुशंषित बजट (वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान) प्रस्तावों को पूरक एजेण्डे के रूप में अनुमोदन हेतु माननीय प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा यह राय प्रकट की गई कि प्राप्त बजट प्रस्तावों को अध्ययन करने हेतु सदस्यों को पर्याप्त समय नहीं मिल सका है। ऐसी स्थिति में प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाना संभव नहीं है। अतः संपूर्ण बजट आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जावें, इसी दौरान प्रबंध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय कार्य संचालन हेतु प्राप्त प्रस्तावों का एक तिहाई बजट (अंतरिम) लेखा अनुदान के रूप में पारित करने का निर्णय लिया गया।
मद सं. 4	:	अन्य मद, आसन की अनुमति से। 1. विश्वविद्यालय में आनंदम पाठ्यक्रम को लागू करने के संबंध में प्रबंध मण्डल की आसन बैठक में उक्त को एजेण्डे के रूप में सम्मिलित करने के प्रस्ताव माननीय सदस्य, प्रबंध मण्डल, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 31.03.2021 के द्वारा प्राप्त हुये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आनंदम पाठ्यक्रम को सैद्धांतिक रूप से लागू करने संबंधी प्रस्ताव विश्वविद्यालय की विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 25.08.2020 के मद सं. 05 के द्वारा अनुशंषित किये गये थे जिनका अनुमोदन विश्वविद्यालय की प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 20.11.2020 के मद सं. 03 में हो चुका है, किन्तु माननीय कुलपति महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पाठ्यक्रम को व्यावहारिक रूप से लागू करने में आ रही कठिनाईयों तथा

		विद्यार्थियों से उक्त पाठ्यक्रम को न चलाने के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों को दृष्टिगत रखते हुये कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रबंध मण्डल द्वारा आनंदम पाठ्यक्रम के संचालन संबंधी प्रकरण विश्वविद्यालय की विद्या–परिषद् की बैठक में पुनः विचार–विमर्श हेतु रखा जाकर विद्या–परिषद् की अनुशंषाओं को पुनः प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। 2. श्री पानाचंद मेघवाल, माननीय सदस्य द्वारा कोटा विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में कार्यरत् कार्मिकों को Hard Duty Allowance भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों को सदन में रखा गया। चूंकि तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा उक्त प्रकरण पर दिनांक 07.10.2017 को निर्णय दिया गया था कि **"स्वीकृत नहीं किया जाता है।"** को दृष्टिगत रखते हुये सदन द्वारा आसन बैठक में उक्त प्रस्तावों को निरस्त कर आगामी बैठक में पुनः विचार करने हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया। 3. डॉ. एकता धारीवाल, माननीय सदस्य द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों द्वारा प्रेषित ज्ञापन को प्रबंध मण्डल के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखा गया। उक्त ज्ञापन में कार्मिकों द्वारा नियमित करने, नियमितीकरण होने तक संविदा यानि अनुबंध पर नियुक्ति तथा सम्मानजनक मानदेय दिये जाने का अनुरोध किया गया। सदन में चर्चा के दौरान यह तथ्य उभर कर आये कि उक्त प्रकृति के कार्मिक टेण्डर प्रक्रिया के द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत है। अतः इन प्रस्तावों को प्रबंध मण्डल द्वारा Turn down किया गया। 4. डॉ. जे.पी. सैनी, माननीय सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदाकर्मी को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। सदन में विचार–विमर्श उपरान्त संविदाकर्मी को दिये जाने वाले मानदेय में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत वृद्धि (Increment) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित वृद्धि तत्काल प्रभाव से ही प्रभावी रहेगी।

अन्त में कुलपति महोदया ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

कुलपति
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव